

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(5)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2022

जयपुर, दिनांक : 28-11-2022

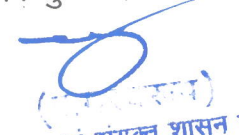
गेहूं आवंटन आदेश माह जनवरी, 2023
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1-4/2019-बी.पी.-III (ई-368491), दिनांक 16.12.2021 एवं विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गाईडलाईन दिनांक 12.02.2019 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल राशनकार्डधारियों को 1.00 रुपये प्रतिकिग्रा. की दर से तथा PHH अन्य श्रेणी को 2.00 रुपये प्रतिकिग्रा. की दर से पात्रतानुसार **माह जनवरी, 2023** हेतु गेहूं का जिलेवार उप-आवंटन संलग्न **परिशिष्ट-1** के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप-आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

- 1- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में निम्नानुसार किया जा रहा है :-

गेहूं आवंटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	1.00 रुपये प्रतिकिग्रा.
द्वितीय	PHH (Others)	2.00 रुपये प्रतिकिग्रा..

- 2- खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक **15.11.2022** की अद्यतन संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।
- 3- खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति की होगी।
- 4- **माह जनवरी, 2023 हेतु आवंटित गेहूं का उठाव दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 से प्रारम्भ किया जावे तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक शत-प्रतिशत उठाव किया जाना सुनिश्चित करें।**
- 5- खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।
- 6- उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी। **जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा को पोस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।**
- 7- योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूं के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जांच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए, ताकि अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार गेहूं प्राप्त होने की पुष्टि हो सकें।


उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

- 8— नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूं का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेन्स स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं PHH अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।
- 9— गेहूं वितरण की ग्राहक पर्ची (Beneficiary Receipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।
- 10— सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डों की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर जिला रसद अधिकारी अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानवार आवंटित मात्रा में कमी करते हुए उप आवंटन जारी करें।
- 11— ऑफलाईन वितरित किये गये गेहूं की आगामी माह की 15 तारीख तक पॉस मशीन/पोर्टल पर इन्द्राज एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 12— खाद्य विभाग द्वारा एससीएम पोर्टल पर अंकितानुसार उचित मूल्य दुकानों के पास उपलब्ध अधिकतम समायोजन योग्य अवशेष स्टॉक को समायोजित कर आगामी माह का नवीन आवंटन जारी किया जाता है। इसके बावजूद अगर किसी उचित मूल्य दुकान पर एससीएम पोर्टल लागू होने से पूर्व का एनएफएसए अतिरिक्त गेहूं भौतिक रूप से उपलब्ध हो, तो जिला रसद अधिकारी अपने स्तर पर उक्त गेहूं का समायोजन कर मुख्यालय द्वारा जारी आवंटित मात्रा में कम करते हुए उप आवंटन किया जाना सुनिश्चित करें।
- 13— “वन नेशन वन राशनकार्ड” के तहत अन्य राज्यों के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उचित मूल्य दुकानवार आवश्यक मात्रा का 02 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
- 14— माह जनवरी, 2023 के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावे।

विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा वैधता अवधि का विस्तार नहीं किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये हैं।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

28.11.22
(रामस्वरूप)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासनाधीन
उपायुक्त एवं संयुक्त शासनाधीन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार(खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त(प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार(खाद्य)/उपायुक्त(प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
10. महाप्रबंधक(क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ) के रिलीज आर्डर स्थानीय/ निकटतम एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।
12. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आवंटित गेहूँ की राशि समय पर जमा कर, नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूँ का शत-प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें। भारत सरकार के निर्देशानुसार वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द करदी जावेगी। अतः निर्धारित वैधता अवधि में शत-प्रतिशत मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानवार चालान काटा जाना सुनिश्चित करें।
13. ए.सी.पी.(खाद्य) को प्रेषित कर लेख है कि जनआधार प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में अंकित कार्मिकों को ई-पोस से वितरण पर रोक लगाये जाने के लिए सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें तथा ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों द्वारा किये गये वितरण का पोर्टल पर इन्द्राज कराने हेतु आगामी माह की 15 तारीख तक ऑप्सन खुलवाने की कार्यवाही करें।
14. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

28.11.22
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव
(रामचंद्र)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

NFSA Regular Wheat Allotment January-2023

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		1 Rs per K.G			2 Rs per K.G	
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	646.220	1007.339	418.539	6167.154	8239.252
2	Alwar	705.186	1489.246	525.174	9817.039	12536.645
3	Banswara	1577.727	2537.025	757.172	3016.992	7888.916
4	Baran	1694.742	927.741	207.220	2851.869	5681.572
5	Barmer	832.352	2618.997	405.532	5660.767	9517.648
6	Bharatpur	519.115	1498.471	354.921	5838.303	8210.810
7	Bhilwara	888.638	1717.464	567.731	4688.050	7861.883
8	Bikaner	413.479	2145.198	472.451	3450.908	6482.036
9	Bundi	452.721	744.748	218.231	2655.427	4071.127
10	Chittaurgarh	982.846	1001.603	642.918	2408.368	5035.735
11	Churu	819.756	2004.555	417.786	3757.773	6999.870
12	Dausa	350.934	1153.032	171.607	4055.391	5730.964
13	Dhaulpur	300.625	695.963	147.070	2918.671	4062.329
14	Dungarpur	1154.137	2754.008	377.696	2372.315	6658.156
15	Ganganagar	411.361	1422.441	161.192	3902.767	5897.761
16	Hanumangarh	483.321	1089.176	191.175	3445.518	5209.190
17	Jaipur	461.278	1725.669	552.264	12797.503	15536.714
18	Jaisalmer	232.014	514.005	129.062	1296.324	2171.405
19	Jalor	787.437	1649.448	354.401	3515.330	6306.616
20	Jhalawar	575.047	1244.182	312.067	3622.669	5753.965
21	Jhunjhunun	324.964	578.463	221.017	5490.351	6614.795
22	Jodhpur	303.294	1905.032	215.165	8237.287	10660.778
23	Karauli	566.249	1532.630	283.285	2392.715	4774.879
24	Kota	341.159	1170.082	182.509	3233.296	4927.046
25	Nagaur	598.309	1462.115	393.900	9357.608	11811.932
26	Pali	675.429	1459.032	383.523	4395.537	6913.521
27	Pratapgarh	508.153	1125.431	277.042	1695.387	3606.013
28	Rajsamand	677.716	1083.666	293.105	2636.577	4691.064
29	Sawai Madhopur	534.003	908.245	322.214	2710.963	4475.425
30	Sikar	299.773	850.306	187.918	7444.827	8782.824
31	Sirohi	367.917	672.386	213.809	2795.365	4049.477
32	Tonk	587.399	928.042	382.410	3348.620	5246.471
33	Udaipur	1853.604	4243.512	899.824	5426.015	12422.955
Total		21926.905	47859.253	11639.930	147403.686	228829.774

(रामस्वरूप)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव